संख्या- 12 /2023/16/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 13 जनवरी, 2023

विषय- संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3079/सं0नि0-15(74)/2022-23, दिनांक 02 जनवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ में लोक कलाकारों हेतु तथा शास्त्रीय एवं अन्य विशिष्ट कलाकारों को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के पक्ष में निर्गत किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान , लखनऊ को लोक कलाकारों हेतु तथा शास्त्रीय एवं अन्य विशिष्ट कलाकारों को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को धनराशि आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान , लखनऊ तथा उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ तथा उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा समस्त कार्यो का सत्यापन कराकर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी , व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव- 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 12 /2023/16 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in